FORM No. III

APP-A
crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बून्दी

मनोहरी बनाम रमाती वगै.

किस्म मुकदमा उप./प्रा. पत्र/21 नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-6-21	वकील प्रार्थी उप./प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब हो। तहसीलदार बून्दी से मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, जमाबन्दी सहित प्राप्त की जावे तथा यह भी रिपोर्ट में अंकित करावे कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि पर जाने। पहुंचने हेतु क्या पूर्व में कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है या नहीं। पत्रावली दिनांक 13-7-21 को पेश हो।	
13-7-21	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 1 की प्रोपर तामील नहीं हुई है। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन पेश करें। तामील कुनन्दा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 की तामील के संबंध में रिपोर्ट अंकित की गई है लेकिन तहसीलदार बून्दी से जारी नोटिस पर कोई रिपोर्ट अंकित नहीं की जाकर मूल नोटिस वापिस भिजवाये हैं। इस संबंध में तहसीलदार बून्दी से स्पष्टीकरण प्राप्त करें। तहसीलदार बून्दी से वांछित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	
	अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु पहुंच मार्ग के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1164 रकबा 2.4070 है0 ग्राम छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी में से 2 गट्ठे चौड़ाई का रास्ता (दक्षिणी मेड़ के सहारे-सहारे) सृजित किया जाता है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी अधिकार की भूमि पर नवसृजित रास्ते में काम आने वाली कुल भूमि रकबा 0.0760 है0 का राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दर (वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दर) की दुगनी राशि अप्रार्थी संख्या 01 को अदा करके प्रमाण तहसीलदार, बून्दी को प्रस्तुत करेंगे। तहसीलदार, बून्दी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को अदा की गई राशि के गणना की नियमानुसार जांच करने के उपरान्त नवसृजित मार्ग का अंकन व सीमांकन राजस्व अभिलेख में "रास्ता" के रूप में करें। तहसीलदार, बून्दी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आदेश की पालना न करने की स्थिति में या आदेशानुसार राशि प्रार्थीगण से प्राप्त न करने पर उक्त राशि प्रार्थीगण से नियमानुसार मद में जमा करवा कर नवसृजित रास्ते के संबंध में वांछित अग्रिम कार्यवाही करेगा। नवसृजित रास्ते के लिये प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि पर सृजित रास्ते का प्रयोग सार्वजनिक होगा। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार, बून्दी एवं पक्षकारों को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	